प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त मुख्य नगर अधिकारी
नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

(4) उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण
लखनऊ/देहरादून।

(5) समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत/नगरपालिका परिषद,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक : 31 जुलाई, 2000

विषय :स्थानीय निकायों में प्रबन्धाधीन नजूल सम्पत्तियों का चिन्हीकरण तथा तद्नसार नजूल रजिस्टर की प्रविष्टियों को अद्यवार्षिक किये जाने हेतु राजस्व भू–अभिलेखों से मिलान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मण्डलायुक्त, मेरठ के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–1078/21–585/98–2000, दिनांक 13 जून, 2000 द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि नगर निगम, मेरठ क्षेत्र में कुल 1785–15–18–19 बीघा नजूल भूमि विभिन्न खेवटों में दर्ज है जबकि नजूल रजिस्टर में मात्र 260–3–8–8 बीघा भूमि दर्ज है। इस प्रकार लगभग 1525 बीघा भूमि नजूल रजिस्टरों में दर्ज नहीं है जबकि यह भूमि विभिन्न खेवटों में जैरे इन्तजाम विभिन्न विभिन्न विभाग एवं स्थानीय निकाय के पक्ष में दर्ज हैं। लैण्ड रिकार्ड्स मैनुअल के पैरा–180 (4) के अन्तर्गत राज्य सरकार की विभिन्न भूमि का रख–रखाव दर्ज करते हुये इसी मैनुअल के पैरा–320 के अनुसार प्रपत्र–आर–45 में नजूल रजिस्टर भाग–1 व भाग–2 बनाकर प्रविष्टियाँ की जानी चाहिये, लेकिन उक्त प्रकरण से विदित हो रहा है कि नजूल रजिस्टर भाग–1 तो बनाया ही नहीं गया है तथा नजूल रजिस्टर भाग–2, जिसमें स्थानीय निकाय के प्रबन्ध में नजूल सम्पत्ति का विवरण होता है, वह भी पूर्ण नहीं है। विभिन्न विभागों के प्रबन्ध में जो नजूल सम्पत्ति है, उसके सम्बन्ध में लैण्ड रिकार्ड्स मैनुअल का पैरा–317 एवं नजूल मैनुअल के नियम–2 तथा 12 का अनुपालन किया जाना आवश्यक है जो कि कदाचित विभिन्न जनपदों में नहीं हो रहा है। नजूल मैनुअल के नियम–71 के अनुसार स्थानीय निकाय द्वारा प्रपत्र–ट में रजिस्टर का रख–रखाव करना चाहिये जो कि उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। समस्त नजूल सम्पत्ति का मिलान एवं जाँच कलेक्टर कार्यालय द्वारा की जानी चाहिये, जो कदाचित नहीं की जा रही है।

2. प्रदेश के अन्य जिलों में भी न्यूनाधिक ऐसी ही स्थिति है कि राजस्व अभिलेखों एवं नजूल सम्पत्ति रजिस्टर में नजूल भूमि/सम्पत्ति का अंकन यथोचित ढंग से नहीं किया जा रहा है और न तो सक्षम

अधिकारी द्वारा भू–लेख मैनुअल एवं नजूल मैनुअल के अनुसार वांछित अभिलेख तैयार कराये जा रहे हैं और न ही उनकी नियमित रूप से जॉच एवं मिलान का कार्य किया जा रहा है। जनपदों तथा स्थानीय निकायों की लापरवाही के कारण नजूल सम्पत्ति/भूमि का प्रबन्ध ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण कहीं–कहीं पर यह सत्यापित किया जाना अत्यन्त दुष्कर है कि अमुक भूमि नजूल की भूमि है अथवा अन्य भूमि। इसका यह परिणाम रहा है कि नजूल भूमि/सम्पत्ति का अनाधिक त रूप से अतिक्रमण और दुरूपयोग हो रहा है और स्थानीय निकायों द्वारा कतिपय जनपदों में नजूल सम्पत्ति को अपनी निजी सम्पत्ति मानकर इसका दुरूपयोग किया जा रहा है और अपनी आय का प्रमुख साधन बना लिया गया है। इस आधार पर नजूल भूमि को फ्री–होल्ड करने की शासन द्वारा प्रतिपादित नीति के क्रियान्वयन में गतिरोध भी उत्पन्न किया जा रहा है इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट करना है कि नजूल सम्पत्ति का तात्पर्य केवल वही सम्पत्ति नहीं है जो केवल नजूल रजिस्टर में दर्ज हो बल्कि वह समस्त सम्पत्ति नजूल सम्पत्ति है, जो कि इस रूप मे भू–अभिलेखों में दर्ज हो। इस सम्पत्ति का उचित प्रबन्ध एवं रख–रखाव के लिये नजूल रजिस्टर बनाने की एवं उसको रखने की जिम्मेदारी सम्बन्धित स्थानीय निकाय को राज्य सरकार द्वारा सौंपी गयी हैं और इसका कतई तात्पर्य नहीं है कि यदि स्थानीय निकाय द्वारा किसी नजूल सम्पत्ति को नजूल रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाता है और कलेक्टर द्वारा उसका संज्ञान नहीं लिया जाता तो ऐसी समस्त सम्पत्ति जो नजूल रजिस्टर में दर्ज न हो,वह स्थानीय निकाय की सम्पत्ति हो जायेगी।

3. अतः आपसे अनुरोध है कि क पया नजूल सम्पत्ति/भूमि का अंकन राजस्व अभिलेखों की प्रवष्टि को द ष्टिगत रखते हुये नजूल/रजिस्टर में कराया जाय क्योंकि विधि के द्वारा यह निर्विवाद रूप से मान्य है कि प्रत्येक प्रकार की भू–सम्पत्तियों के लिये राजस्व अभिलेख मूल रूप से एवं अन्तिम रूप से प्रमाणक है। सक्षम अधिकारी द्वारा समय–समय पर अभिलेखों का निरीक्षण भी किया जाय ताकि इन्हें अद्यावधिक एवं दुरूस्त स्थिति में रखा जा सके। निरीक्षण के दौरान यदि कोई अनियमितता पायी जाय तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त के संज्ञान में लाया जाय और विवादित प्रकरणों का निपटारा मण्डलायुक्त के स्तर से राजस्व अभिलेखों, नजूल सम्पत्ति रजिस्टर, विधि अभिलेखों और अन्य अभिलेखों का गहन परीक्षण कर दोनों पक्षों को बुलाकर उनको मौखिक एवं लिखित रूप से गम्भीरतापूर्वक सुनकर लाया जाय।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।